कार्यालय, क्रीडाधिकारी , सुलतानपुर।

पत्रांकः– 256 /जर्जर भवन/मलवे की नीलामी/2019–20 दिनांक– 05 सितम्बर 2019

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्थानीय पन्त स्टेडियम सुलतानपुर के मध्य में स्थित जर्जर भवन/मलवे की सार्वजनिक नीलामी दिनांक–05/09/2019 को अपरान्ह 3.00 बजे पन्त स्टेडियम सुलतानपुर में नीलामी किया जाना था। अपरिर्हय कारणों दिनांक 05.09.2019 को उक्त जर्जर भवन/मलवे की नीलामी स्थगित हो गई । उक्त जर्जर भवन/मलवे की नीलामी दिनांक– 12.09.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति निश्चित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्तेः–

नीलामी की न्यूनतम बोली रू0–5,00,000.00 निर्धारित की गयी है। नीलामी की बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को अग्रिम के रूप में जमानत धनराशि रू0–50,000.00 जमा करना होगा। नीलामी के तुरन्त बाद अधिकतम बोली का 1/2 भाग जमा करना होगा। शेष 1/2 भाग नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने की दशा में 1/2 भाग जमा धनराशि जब्त कर पुनः बोली करायी जायेगी। जब्तशुदा धनराशि पर पुनः बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। नीलामी में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड ,परिचय पत्र, तथा मोबाइल नम्बर, 02 फोटो देना अनिवार्य होगा। पन्त स्टेडियम सुलतानपुर स्थित जर्जर भवन/मलवे की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में उक्त समिति के सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित रूप से बिन्दु तय किये गये।

1–नीलामी की तिथि –05.09.2019 समय 3.00 बजे निर्धारित की गई।

2–जर्जर भवन की नीलामी की सूचना आन–लाईन तथा समाचार पत्रों व स्थानीय समाचार पत्रों में जिला सूचना अधिकारी एवं एन0आई0सी0 सुलतानपुर के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

3–कोई भी सरकारी एवं अर्धसरकारी अधिकारी/कर्मचारी नीलामी में भाग नहीं लेगा।

4–विज्ञाप्ति से कम से कम 15 दिन बाद नीलामी की जाय।

5–प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व रू0–50,000.00जमानत के रूप में नकद जमा करना होगा।

6–नीलामी की न्यूनतम बोली रू0– 5,00,000.00 निर्धारित की गयी है।

7–सर्वोच्च बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की जमानत की धनराशि बोली समाप्त होने के उपरान्त तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

8–सर्वोच्च बोली दाता की बोली समाप्त होने के बाद उसकी जमानत धनराशि समायोजित की जायेगी।

9–किसी भी बकायेदार को बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा।

10–सर्वोच्च बोली दाता को नीलामी की धनराशि का 1/2 भाग नीलामी के तुरन्त बाद जमा करना होगा। शेष 1/2 भाग नालामी स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने की दशा में 1/2 भाग जमा धनराशि जब्त कर पुनः बोली करायी जायेगी। जब्तशुदा बोली दाता को पुनः बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।

11–बोली दाता को अपना पहचान, पता प्रमाण–पत्र, फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा।

12–सर्वोच्च बोलीदाता के द्वारा बोली गयी बोली को सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी, महोदया, सुलतानपुर द्वारा स्वीकृत किये जाने का अधिकार होगा।

13–किसी भी समय नीलामी प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार समिति/जिलाधिकारी में निहित होगा।

(शीला भट्टाचार्य)
क्रीडाधिकारी
सुलतानपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, महोदया,सुलतानपुर।

2–पुलिस अधीक्षक,महोदय, सुलतानपुर को नीलामी के दृष्टिगत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रेषित।

3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुतलानपुर।

4–अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड , लो0नि0वि0,सुलतानपुर।

5–क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, अयोध्या।

6–नाजिर कलेक्ट्रेट सुलतानपुर।

7–अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0 / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग / सिंचाई विभाग / जल निगम / विधुत विभाग सुलतानपुर।

8–जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि **पन्त स्टेडियम सुलतानपुर स्थित जर्जर भवन / मलवे की नीलामी किये जाने हेतु सभी समाचार पत्रों / मीडिया में** निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।

9– जिला सूचना विज्ञान ,अधिकारी, सुलतानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि **पन्त स्टेडियम सुलतानपुर स्थित जर्जर भवन / मलवे की नीलामी किये जाने हेतु आन–लाईन उक्त सूचना** जनपद की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

10–कार्यालय, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

क्रीड़ाधिकारी
सुलतानपुर।